

कार्यालयादेश

सहायक आयुक्त राज्य कर श्रीनगर गढ़वाल के पत्र सं० 759/सहा०आयु०रा०क०/श्रीनगर/जी०एस०टी०/2020-21 दिनांक 18-01-2021 द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ संविदाकारों का भुगतान (02 प्रतिशत टी०डी०एस० सहित) बिना फर्म की जी०एस०टी० वर्तमान पंजीकरण स्थिति जाने बिना ही किया जा रहा है, जिससे कि सरकार को कर प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रत्येक भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित संविदाकार/फर्म से (GSTR 3B RETURN) नवीन प्रति जांचोपरान्त ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय।

वित्त अधिकारी

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांक सं० : हे०न०ब०ग०वि०वि०/वित्त/2021/529

दिनांक : 01/02/2021

प्रतिलिपि :

1. समस्त पटल सहायक लेख अनुभाग।
2. अनुभाग अधिकारी वित्त/आर०सी०सी० सेल/क्रय मुद्रण विभाग।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता।
5. संयुक्त कुलसचिव/उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/जनसम्पर्क अधिकारी।
6. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/मुख्य नियन्ता/छात्रावास अधीक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष।
7. निदेशक, टिहरी, पौड़ी, चौरास परिसर एवं निदेशक, IQAC।
8. परीक्षा नियन्त्रक।
9. प्रभारी, वाहन सेल।
10. निजी सचिव कुलसचिव।
11. सिस्टम मैनेजर को उक्त आदेश विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
13. कार्यालय प्रति।

वित्त अधिकारी